रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-03072023-246926
SG-DL-E-03072023-246926

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 202]	दिल्ली, शुक्रवार, जून 30, 2023/आषाढ़ 9, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 118
No. 202]	DELHI, FRIDAY, JUNE 30, 2023/ASHADHA 9, 1945	[N. C. T. D. No. 118

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय,

(ई–III शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 28 जून, 2023

फा. सं. डीई.3(38)/ई–III/आरआर–टीजीटी (एमआईएल)/2016/पा.फा./3757.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 17.01.1994 की अधिसूचना सं0 फा0 27(8)/88–शिक्षा/118 के साथ पठित दिनांक 30.12.1992 की अधिसूचना संख्या फा. 27(8)/88– शिक्षा/2565 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (आधुनिक भारतीय भाषा) , के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :–

   (i) इन नियमों को शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (आधुनिक भारतीय भाषा) भर्ती नियम, 2023 कहा जाएगा।

   (ii) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर** :–उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तरइन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि** :–उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :–ऐसा कोई भी व्यक्ति

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :–जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंधों में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. **बचावः**– इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

1.	**पदनाम**	:	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (आधुनिक भारतीय भाषा) 1) हिन्दी 2) संस्कृत 3) उर्दू 4) पंजाबी 5) बंगाली
2.	**पदों की संख्या**	:	8948 (2019) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	**वर्गीकरण**	:	''सामान्य केन्द्रीय सेवा '' अलिपिकीय, अराजपत्रित समूह –ख
4.	**वेतन मैट्रिक्स मं स्तर**	:	7 **टिप्पणी** : वेतन मैट्रिक्स के स्तर –7 (44900 –142400/–रू0)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है**	:	चयन पद
6.	**सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा**	:	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्षों तक शिथिलनीय) टीप : आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि डीएसएसएसबी द्वारा यथाविज्ञाप्ति होगी। 6 (क) निर्णायक विवरण : लागू नहीं
7.	**सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	योग्यता : अनिवार्य योग्यता : 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान (संबंधित भाषा का कम से कम दो वर्ष का अध्ययन होना चाहिए) से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित किसी आधुनिक भारतीय भाषा (एमआईएल) (अर्थात् हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली) में स्नातक उपाधि ; अथवा स्नातक उपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी आधुनिक भारतीय भाषा (एमआईएल) (अर्थात् हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली) में स्नातकोत्तर उपाधि; अथवा किसी एनसीटीई मान्यता प्राप्त संस्थान (संबंधित भाषा का कम से कम तीन वर्ष का अध्ययन होना चाहिए) से बी.एल.एड/बी.ए.बीएड का चार वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम /पाठ्यक्रम /उपाधि ।

			2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बीएड या तीन वर्षीय एकीकृत बीएड –एमएड (यदि बी.एल.एड/बी.ए.बीएड का चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम है तो अलग से बीएड/बीएड–एमएड की आवश्यकता नहीं है) 3. सीबीएसई द्वारा आयोजित केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) में उत्तीर्ण । **टीप 1** – विषय/विधा की वास्तविक आवश्यकता प्रत्येक भर्ती के समय इंगित की जाएगी। **टीप 2**– अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं डीएसएसएसबी/सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं । अनुभव : लागू नहीं । वांछनीय योग्यता : लागू नहीं । अनुभव : लागू नहीं । योग्यता मानक टीप – लागू नहीं । अनुभव मानक टीप – लागू नहीं ।	
8.	**क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति पर भी लागू होगी।**	:	आयु : नहीं शैक्षिक योग्यता : हां **टीप** : स्नातक या स्नातकोत्तर में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की शर्त दिल्ली नगर निगम/क्षिा निदेशालय के सहायक शिक्षक (प्राथमिक/ नर्सरी) तथा शिक्षा निदेशालय के प्रयोगशाला सहायकों पर लागू नहीं होगी ।	
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	2 **टिप्पणी** : पदोन्नति के साथ –साथ सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष । **टीप** : प्राथमिक /नर्सरी/ प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (आधुनिक भारतीय भाषा) में पदोन्नति के लिए किसी परीवीक्षा की आवश्यकता नहीं है ।	
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	पद्धति	प्रतिशत
			पदोन्नति	20
			सीधी भर्ती	80
11.	**यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है**	:	पदोन्नति : (क) 224 (कुल पदों का 2.5 प्रतिशत) पदों को नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर –6 (35400 से 112400/–रूपये) में शिक्षा निदेशालय , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सहायक शिक्षक (प्राथमिक) में से पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा। (ख) 45 (कुल पदों का 0.5 प्रतिशत) पदों को नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर –6 (35400 से 112400/–रूपये) में शिक्षा निदेशालय , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सहायक शिक्षक (नर्सरी) में से पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा। (ग) 1275 (कुल पदों का 14.25 प्रतिशत) पदों को नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर –6 (35400 से 112400/–रूपये) में दिल्ली नगर निगम के सहायक शिक्षक (प्राथमिक) में से पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा। (घ) 112 (कुल पदों का 1.25 प्रतिशत) पदों को नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर –6 (35400 से 112400/–रूपये) में दिल्ली नगर निगम के सहायक शिक्षक (नर्सरी) में से पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा।	

			(ङ) 134 (कुल पदों का 1.5 प्रतिशत) पदों को नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पन्द्रह वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर –4 (25500 से 81100/–रूपये) में शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन विद्यालयों में प्रयोगशाला सहायकों में से पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा। **टीप – 1**:– जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। मानक टीप – लागू नहीं ।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	**विभागीय पदोन्नति समिति** 1. निदेशक (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – (अध्यक्ष) 2. विशेष निदेशक (शिक्षा)/अपर निदेशक (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – (सदस्य) 3. उप सचिव (सेवाएं), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – (सदस्य) **विभागीय स्थाईकरण समिति** 1. उप निदेशक शिक्षा (जिला), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – (अध्यक्ष) 2. उप निदेशक शिक्षा (जोन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – (सदस्य) 3. उप निदेशक शिक्षा (जोन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – (सदस्य)
13.	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है ।

टीप : अधिसूचना सं0 एफ027/8/88–शि0/2565 दिनांक 30 दिसम्बर, 1992 को सं0 फा0 27(8)/88–शि0/118 दिनांक 17 जनवरी 1994 द्वारा संशोधित किया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

शिंगारे रामचन्द्र महादेव,संयुक्त सचिव (शिक्षा)

DIRECTORATE OF EDUCATION

[(DR CELL) E-III BRANCH]

NOTIFICATION

Delhi, the 28th June, 2023

F. No. DE.3(38)/E-III/RRs-TGT(MIL)/2016/PF/3757.—In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution and in supersession of Notification No.F.27(8)/88-Edn./2565 dated 30.12.1992 read with notification No.F.27(8)/88-Edn./118 dated 17.01.1994 and anything done or omitted to be done before such supersession, the Lieutenant Governor in the National Capital Territory of Delhi hereby makes rules regulating the method of recruitment to the post of Trained Graduate Teacher (Modern Indian Language) in the Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi as following, namely:

1. **Short title and commencement:–**

(i) These rules may be called the Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi, Trained Graduate Teacher (Modern Indian Language) Recruitment Rules 2023.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. **Number of post, its classification and pay level in the pay matrix :-** The number of said post , its classification and pay level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in Columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc:-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in the Columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualifications:- No person,**

(a) Who has entered or contracted a marriage with a person having a spouse living: **or**

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person:

Shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Government of National Capital Territory of Delhi, may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds of doing so, exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to relax:-** Where the Government is of opinion of that if necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, may relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving:-** Nothing in these rules shall effect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, Ex-Servicemen, other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

1. Name of Post.	Trained Graduate Teacher (Modern Indian Language) 1) Hindi 2) Sanskrit 3) Urdu 4) Punjabi 5) Bengali
2. Number of Post.	8948 (2019) *Subject to variation dependent on workload
3. Classification.	**“General Central Service”** Non ministerial Non- Gazetted Group-B
4. Pay level in the Pay Matrix	**7 Remark:** Level-7 (Rs 44900-142400/-) in the pay matrix.
5. Whether Selection Post/ Non-Selection Post.	Selection Post.
6. Age limits for Direct Recruits.	Not exceeding 30 years (relaxable for government servants up to 5 years in accordance with instructions or orders issue by Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by DSSSB. 6(a) Crucial description: NA
7. Educational and other qualification required for direct recruits.	**Qualification : Essential Qualification:** 1. A Bachelors Degree in one of the Modern Indian Languages (MIL) (i.e Hindi, Sanskrit, Urdu, Punjabi, Bengali) with at least 50 percent marks from a recognized University/Institute (the concerned language should have been studied for at least 2 year); Or Masters Degree in one of the Modern Indian Languages (MIL) (i.e. Hindi, Sanskrit, Urdu, Punjabi, Bengali) from a recognized University/Institute with at least 50 percent marks in either bachelors degree or masters degree; Or

	4-year integrated programme/course/ degree of B.El.Ed./B.A.B.Ed. from any NCTE recognized Institution (the concerned language should have been studied for at least three years). 2. B.Ed. or three year integrated B.Ed.-M.Ed. from a recognized University/Institute (No separate B.Ed./B.Ed.-M.Ed. is required in the case of 4-year integrated course of B.El.Ed./B.A.B.Ed.). 3. Pass in the Central Teachers Eligibility Test (CTET) conducted by CBSE. **Note 1:** Exact requirement of the subject/ discipline will be indicated at the time of each recruitment. **Note 2:** The qualifications are relaxable at the discretion of the DSSSB/Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Experience:** Not Applicable **Desirable Qualification:** Not Applicable **Experience:** Not Applicable **Qualification Standard Note:** NA **Experience Standard Note:** NA
8. Whether age & Educational Qualification as prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees.	**Age:** No **Edu. Qual:** Yes **Note:** The condition of securing at least 50 percent marks in Graduation or Post Graduation shall not apply in the case of Assistant Teachers (Primary/Nursery) of MCD/Directorate of Education and Laboratory Assistants of Directorate of Education.
9. Period of Probation, if any.	2 **Remark:** 2 years for promotes as well as direct recruits. **Note:** No probation is required for promotion from Primary/Nursery/Teacher to TGT (MIL).
10. Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by Deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	**Method** — **Percentage** Promotion — 20 Direct Recruitment — 80
11. In case of recruitment by promotion/ Deputation/transfer grades from which promotion/Deputation/ transfer to be made.	**Promotion:** (a) 224 (2.5 percent of total posts) posts shall be filled by promotion from Assistant Teachers (Primary) of Directorate of Education, GNCT of Delhi in level-6 (Rs. 35400 to Rs. 112400/-) of pay matrix with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. (b) 45 (0.5 percent of total posts) posts shall be filled by promotion form Assistant teachers (Nursery) of Directorate of Education, GNCT of Delhi in level-6 (Rs.35400 to Rs. 112400/-) of pay matrix with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. (c) 1275 (14.25 percent of total posts) posts shall be filled by promotion from Assistant Teachers (Primary) in schools of Municipal Corporation of Delhi, in level-6 (Rs.35400 to Rs. 112400/-) of pay matrix with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. (d) 112 (1.25 percent of total posts) posts shall be filled by promotion from Assistant Teachers (Nursery) in schools of Municipal Corporation of Delhi, in level-6 (Rs.35400 to Rs.112400/-) of pay matrix with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. (e) 134 (1.5 percent of total posts) shall be filled by promotion from Laboratory Assistants in schools under the Directorate of Education,

	GNCT of Delhi in level-4 (Rs.25500 to Rs.81100/-) of pay matrix with fifteen years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Standard Note**: NA
12. If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	**Departmental Promotion Committee :** 1. Director (Education), Govt. of NCT of Delhi - (Chairman) 2. Special Director (Education)/Additional Director (Education), Govt. of NCT of Delhi - (Member) 3. Deputy Secretary (Services), Govt. of NCT of Delhi - (Member) **Departmental Confirmation Committee :** 1. Deputy Director Education (District), Govt. of NCT of Delhi - (Chairman) 2. Deputy Director Education (Zone), Govt. of NCT of Delhi - (Member) 3. Deputy Director Education (Zone), Govt. of NCT of Delhi - (Member)
13. Circumstances under which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Consultation with UPSC is not necessary

Note: The Notification No.F.27/8/88-Edn./2565 date 30th December, 1992 as amended vide No. F. 27(8)/88-Edn./118 dated 17 January, 1994.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,

SHINGARE RAMCHANDRA MAHADEV, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA